न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–एलआर/62/2018/भीलवाड़ा (2018/00062)

1. श्री रामलाल पुत्र मोतीलाल
2. श्री कालूराम पुत्र मोतीलाल
   जाति रेगर निवासी चांदजी की खेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलांट्स

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र गोमा,जाति रेगर निवासी ग्राम कूली,तहसील दांतारामगढ जिला सीकार

2. ग्राम पंचायत चांदजी की खेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा जरिये सरपंच,ग्राम पंचायत चांदजी की खेडी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्धान उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया भीलवाडा दिनांक 05.06.2018 अंतर्गत अपील संख्या 04/2016

उपस्थितः–

1. श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट उपस्थित।
2. श्री शौकिनलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांट रेस्पो0 सं0 1 उपस्थित।
3. श्री अमित कासोटिया, अभिषाक रेस्पो0 सं0 2 उपस्थित

निर्णय

दिनांक :– 29.01.2020

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी,बिजौलिया भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता द्वारा ग्राम चांदजी की खेडी में स्थित विवादित आराजी खसरा न0 622 व 622/1 की कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि को रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 01.06.1978 को लादूलाल दततक पुत्र रामलाल बलाई से बिल एवज 10 हजार रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था जिस पर खरीद की तारीख से काबिज है । अपीलांट के पिता की मृत्यु हो गई है ओर उत्तराधिकार के नामान्तरकरण 1122 दिनांक 16.10.

2014 से विवादित भूमि अपीलांट के कब्जे में हैं । रेस्पोडेन्ट शम्भूलाल,मुन्नालाल पुत्र प्रभुलाल धाकड द्वारा अपील दायर की गई थी जो वास्तव में कभी भी अदालत में पेश नहीं हुए थे और उनकी पहचान बेहद संदिग्ध है और इनके द्वारा अपीलांट की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया इसके संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत इनके विरूद्ध कार्यवाही का प्रकरण लम्बित है । निचली अदालत द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रकरण संख्या 4/2016 को निर्णय दिनांक 05.06.2018 से स्वीकार कर लिया गया । अतः अपीलीय निर्णय तथ्यों के विपरित के साथ साथ प्रकरण में दो साल की देरी के बाद एक अत्यधिक समय वर्जित अपील प्रतिवादी द्वारा दायर की गई और पारित निर्णय तय कानून के खिलाफ है कि जब एक बार वर्जित अपील पारित हो जाती है तो माननीय न्यायालय ने पहले धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत आवेदन का निर्णय लेने के लिए और जब तक कि देरी नहीं हाती है तब तक मामले की योग्यता को नहीं छुआ जा सकता ,लेकिन त्वरित मामले में निचली अदालत ने पहले गुणावगुण के आधार पर फैसला किया है और उसके बाद निर्णय के अंत में कहा गया है कि प्रकरण विलम्बित है जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा मियाद अधिनियम हेतु विलम्ब का कारण नहीं दिया गया है।

2- महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट कभी भी चांद की खेडी निवासी नही रहा है ग्राम कुल तहसील दातारामगढ जिले सीकर का निवासी है उन्होने जमीन नहीं खरीदी है यह केवल रेस्पोडेन्ट की हाली के रूप में काम करने वाले है क्योंकि जमीन की कीमत बढ गई है वे किसी काल्पनिक व्यक्ति के इशारे पर मुकदमा दायर करके साजि रच रहे है इनके विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 340 की कार्यवाही भी की जा रही है । अपीललांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य शपथ पत्र,लीज डीड,मतदाता सूची,मौका पर्चा दिनांक 21.9.16 उपरोक्त संप्रत्यय साक्ष्य से यह स्पष्ट था कि अपीलकर्ताओं का पिता है जिन्होने विवादित जमीन खरीद की थी । xx

3- अपीलांट ने अपील के अंत में निवेदन किया कि अपील को स्वीकार कर बिद्धान उपखण्ड अधिकारी,बिजौलिया भीलवाडा के आदेश को अपास्त किया जावे । xx

4- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये जो बाद तामिल प्राप्त हुए । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हुआ। अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेन्ट अभिभाषक उपस्थिति में प्रकरण में उभयपक्षीय बहस सुनी गई । xx

5- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने मोतीलाल पुत्र गोमा होने का साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है तथा रेस्सोडेन्ट ही मोतीलाल पुत्र गोमा या खूमा एक व्यक्ति ही है या अलग अलग है इसकी जांच भी नहीं की गई है इस स्थिति में अपील को स्वीकार किया जावे । xx

6- रेस्पोडेन्ट अभिभाषक का मुख्य तर्क यह था कि रेस्पोडेन्ट 1 न्यायालय हाजा में उपस्थित हैं एंव रेस्पोडेन्ट ने स्वय अदालत हाजा में बयान किया कि वह जीवित है एंव उक्त भूमि ख0न0 622 व 622/1 कुल रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा ग्राम चांदजी की खेडी को सिजारे पर परिचित शभ्भूलाल,मुन्नालाल,अशोक धाकड को सन् 1991 में देकर मूल ग्राम कुल तहसील दातारामगढ सिरोही चला गया । सिजारे की आधी फसल अपीलार्थी को देते थे मैं भी प्रतिफसल आकर जमीन संभाल जाता था । अपीलांट संख्या 1 व 2 के पिता का नाम भी मोतीलाल था जिसके पिता खूमा जी थे एंव ग्राम निमडीगवा में है उसका चान्दजी की खेडी से कोई संबंध एंव जायदाद जमीन नही थी । मोतीलाल पिता खूमा जी का देहावसान सन् 1993 में ही हो गया था एंव उनकी मजीन आराजी न0 77 व 315/77 कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा ग्राम निमडीगवा में स्थित है जिसका नामान्तरकरण संख्या 212 दिनांक 07.09.1994 को दर्ज किया गया इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट की जायदाद कृर्षि भूमि का खातेदार जीवित है एंव अपीलांट के पिता मोतीलाल की मृत्यु सन 1993 में हो गई थी तो मृत्यु प्रमाण में मोतीलाल की मृत्यु 13.04.1997 फर्जी एंव कुट रजित तैयार कर रेस्पोडेन्ट ने अपने दादा का नाम खूमा के स्थान पर गोमा अंकित एंव माता का नाम कजोडी बाई मनगढत गलत अंकित करवा लिया जबकि रेस्पोडेन्ट की माता का नाम पार्वतीदेवी है इस प्रकार मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर नामान्तरकरण संख्या 1122 दिनांक 16.10.2014 से इंतकाल दर्ज करवाकर अपीलार्थी की जमीन अपने नाम करवा ली थी । यहां उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट 3 द्वारा भी अपने निर्णय पारित करने से पूर्व पूरी जांच नहीं की व मजमे आम व कोरम के समक्ष नही रखा व कब्जेदारी सिजारी या पूर्व विक्रेता लादुलाल बलाई से जांच की जाती तो वास्तविकता का पता लग जाता । मेरे द्वारा विद्धान उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया भीलवाडा के समक्ष अपील संख्या 4/2016 पेश की इसपर अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार कर अपने निर्णय 05.06.2018 से प्रकरण पुनः जांच हेतु रिमाण्ड किया है । अतः अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायसंगत होने से अपील खारिज फरमावें । xx

7- हमने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक की उपभयपक्षीय बहस दौराने अपीलमीमो में उल्लेखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुना व अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का मनन व अवलोकन किया ।

8- हमने अपीलांट अभिभाषक के तर्क एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का सुक्ष्मता से मनन किया हम रेस्पोडेन्ट के तर्क से सहमत है विवादित भूमि ख0न0 622 व 622/1 कुल रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा मोतीलाल पिता गोमा रेगा सा0देह खातेदार के नाम दर्ज थी जिसे जरिये नामान्तकरण संख्या 1122 दिनांक 16.10.2014 से मोतीलाल पिता गोमा को फौत दिनांक 13.04.1997 बताते हुए ग्राम पंचायत चांदजी की खेडी,तहसील बिजौलिया ने रामलाल,कालूराम पिता मोतीलाल रेगर के पक्ष में पारित किया वह विवादित की श्रेणी का है क्योंकि अपीलांट की भूमि निमडीगवा

ग्राम में है यह भूमि पूर्व में श्री मोतीलाल पिता खूमा रेगर सा0देह खातेदार के नाम थी उसकी मृत्यु पश्चात् 07.04.1994 को विरासत का नामान्तकरण संख्या 1 स्वीकृत होकर निमडीगवा की भूमि रामलाल,कालू पिता मोती रेगा के नाम आयी । जबकि नामान्तरकरण संख्या 1122 व 212 में खातेदार की मृत्यु समय में काफी अन्तर है । प्रश्नगत नामान्तकरण 2014 में खुला जबकि पूर्व नामान्तकरण 07.04.1994 में खुला । दोनों नामान्तरकरण के खुलने में काफी अन्तर है यह विरोधाभास की ओर इशारा करता है कि ऐसी स्थिति में हम सहमत है कि विद्धान उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया द्वारा नामान्तकरण के कार्य पर पुनः जांच का आदेश पूर्णतया न्यायोचित एंव आवश्यक था । जहां तक अपीलार्थी के इस तर्क का प्रश्न है कि माननीय न्यायालय द्वारा पहले धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र का निर्णय कर देरी माफी नहीं की जाती तब तक मामले की योग्यता को नहीं छुआ जा सकता इस संबंध में हम विद्धान उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के स्वीकार किये जाने से हम सहमत है क्योंकि विधि के सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पक्षकारों के हित निहित हो वहां प्रकरण को तकनीकी आधार पर अपास्त करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिए । अतः विद्धान उपखण्ड अधिकारी,बिजौलिया के निर्णय दिनांक 05.06.2018 में कोई विधिक त्रृटि नहीं होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं हैं। xx

—:क्रियात्मक आदेशः—

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 62/2018 (2018/00062) बउनवानी रामलाल व अन्य बनाम मोतीलाल व अन्य को खारिज किया जाकर विद्धान उपखण्ड अधिकारी,बिजौलिया जिला भीलवाडा द्वारा अपील संख्या 04/2016 बउनवान मोतीलाल बनाम रामलाल में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2018 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.03.16 10:30:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: